रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21062021-227744
CG-DL-E-21062021-227744

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 18, 2021/ज्येष्ठ 28, 1943
No. 252]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 18, 2021/JYAISTHA 28, 1943

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2021

सं. 131

सं.ईपी.1(1)/2015(भाग) .— खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में संशोधन/जोड़ने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथाः-

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभः**

   (i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहलाएंगे।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषा:** इस विनियम में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसा कि खाद्य निगम अधिनियम,1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम,1971 में दिया गया है।

3. मौजूदा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं -

   (i) विनियम 2 (ढ) के बाद परिभाषा को शामिल करते हुए विनियम 2 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

(ण) "त्वरित पदोन्नति योजना" (एपीएस) सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा (एलडीपीई) के माध्यम से पदोन्नति हेतु अतिरिक्त विधि है तथा एपीएस के माध्यम से पदोन्नत कर्मचारियों को विनियमों में जहां कहीं भी उल्लेख किया गया है, नियुक्ति अभ्यर्थी अथवा पदोन्नत अभ्यर्थी शब्द के तहत कवर किया जाता है।

(ii) विनियम 10 (iii) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

एपीएस के माध्यम से छोड़कर सभी पदोन्नतियों पर इस प्रयोजनार्थ विधिवत रूप से गठित एक प्रमोशन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा और उम्मीदवारों की पसंद के क्षेत्र, पैनल की संरचना और पैनल की वैधता के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने वाले सामान्य निर्देशों द्वारा विनियमित किया जाएगा। परिशिष्ट-I में दर्शाए गए अनुसार उपलब्ध प्रमोशनल रिक्तियों के निर्दिष्ट प्रतिशत तक एपीएस को बढ़ाया जाएगा।

(iii) विनियम 10(iii) में निम्नानुसार परंतुक शामिल करके और संशोधन किया गया है:

बशर्ते कि, जिस पद पर एपीएस के माध्यम से पदोन्नति की जाती है, पात्र चयनित उम्मीदवारों की वरिष्ठता सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा में समेकित योग्यता (Merit) के क्रम में व्यवस्थित की जाएगी।

(iv) विनियम 16(3)(क) को शामिल करके विनियम 16 में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

16(3)(क) पदोन्नति और त्वरित पदोन्नति की सापेक्ष (relative) वरिष्ठता – पदोन्नति और त्वरित पदोन्नति योजना के लिए आरक्षित कोटा के आधार पर पदोन्नत अभ्यर्थियों और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थियों की सापेक्ष वरिष्ठता क्रमशः पदोन्नत अभ्यर्थियों और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थियों के बीच रिक्तियों के रोटेशन के अनुसार निर्धारित की जाएगी। .

(v) मौजूदा विनियम 16(3) को विनियम 16(3)(ख) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया है।

(vi) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) विनियम, 1971 के परिशिष्ट-I में दर्शाई गई विभिन्न पदों की भर्ती की पद्धति को निम्नलिखित कॉलम में निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

भाग-II – सामान्य प्रशासन संवर्ग

क्र. सं.	पद का विवरण	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति		टिप्पणी
			चयन/गैर-चयन	अनुभव	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
3.	सहायक महाप्रबंधक	सीधी भर्ती द्वारा 25%	-	-	-
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	प्रबंधक(सामान्य/गोदाम) के रूप में 5 वर्ष	-
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस) द्वारा 10%	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर प्रबंधक(सामान्य/गोदाम) के रूप में 3 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 03 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

				10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	
5.	प्रबंधक	सीधी भर्ती द्वारा 25 % पदोन्नति द्वारा 65% सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस) द्वारा 10%	- चयन -	- सहायक श्रेणी- I (सामान्य प्रशासन/आशुलिपिक श्रेणी -I) के रूप में 03 वर्ष प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर श्रेणी –III पद (सामा./टंकक/स्टेनो) में 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 03 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंध निदेशक द्वारा प्रत्येक अवसर पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित की जाएगी। अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

टिप्पणी 1: पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर) और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी (एपीएस) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते समय, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी को पहले रखा जाएगा और उसके बाद त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी को रखा जाएगा। पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) और सीधी भर्ती (डीआर) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते हुए, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) को पहले रखा जाएगा और उसके बाद सीधी भर्ती वाले (डीआर) को रखा जाएगा।

टिप्पणी 2: वार्षिक पदोन्नति रोस्टर में सृजित होने वाली **50%** रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर एपीएस के **10%** कोटे का कार्यान्वयन प्रारंभ में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

भाग-III – गोदाम संवर्ग

क्र. सं.	पद का विवरण	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति		टिप्पणी
			चयन/गैर-चयन	अनुभव	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
1.	प्रबंधक	सीधी भर्ती द्वारा 25%	-	-	आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंध निदेशक द्वारा प्रत्येक अवसर पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित की जाएगी।
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	सहायक श्रेणी -I (गोदाम) के रूप में 03 वर्ष	
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस) द्वारा 10%	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर श्रेणी –III पद (गोदाम) में 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

टिप्पणी 1: पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर) और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी (एपीएस) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते समय, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी को पहले रखा जाएगा और उसके बाद त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी को रखा जाएगा। पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) और सीधी भर्ती (डीआर) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते हुए, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) को पहले रखा जाएगा और उसके बाद सीधी भर्ती वाले (डीआर) को रखा जाएगा।

टिप्पणी 2: वार्षिक **पदोन्नति** रोस्टर में सृजित होने वाली **50%** रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर एपीएस के **10%** कोटे का कार्यान्वयन प्रारंभ में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

भाग-IV – तकनीकी संवर्ग

क्र. सं.	पद का विवरण	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति		टिप्पणी
			चयन/गैर-चयन	अनुभव	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
2.	सहायक महाप्रबंधक	सीधी भर्ती द्वारा 25%	-	-	-
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	**प्रबंधक के रूप में** 05 वर्ष	-
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस) द्वारा 10%	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर प्रबंधक (तक.) के रूप में 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन
4.	प्रबंधक	सीधी भर्ती द्वारा 25%	-	-	आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंध निदेशक द्वारा प्रत्येक अवसर पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित की जाएगी।
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	**सहायक श्रेणी—I** के रूप में 03 वर्ष	
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर श्रेणी–III पद (तकनीकी) में 03 वर्ष	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

		योजना(एपीएस) द्वारा 10%		एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	

टिप्पणी 1: पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर) और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी (एपीएस) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते समय, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी को पहले रखा जाएगा और उसके बाद त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी को रखा जाएगा। पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) और सीधी भर्ती (डीआर) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते हुए, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) को पहले रखा जाएगा और उसके बाद सीधी भर्ती वाले (डीआर) को रखा जाएगा।

टिप्पणी 2: वार्षिक **पदोन्नति** रोस्टर में सृजित होने वाली **50%** रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर एपीएस के **10%** कोटे का कार्यान्वयन प्रारंभ में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

भाग-V – परिचालन संवर्ग

क्र. सं.	पद का विवरण	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति		टिप्पणी
			चयन/गैर-चयन	अनुभव	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
1.	सहायक महाप्रबंधक	सीधी भर्ती द्वारा 25%	-	-	-
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	प्रबंधक के रूप में 05 वर्ष	-
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस) द्वारा 10%	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर प्रबंधक (परिचालन) के रूप में 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

				हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	
2.	प्रबंधक	सीधी भर्ती द्वारा 25 %	-	-	आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंध निदेशक द्वारा प्रत्येक अवसर पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित की जाएगी।
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	सहायक श्रेणी-I के रूप में 03 वर्ष	
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस) द्वारा 10%	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर श्रेणी–III पद (परिचालन) में 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

टिप्पणी 1: पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर) और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी (एपीएस) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते समय, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी को पहले रखा जाएगा और उसके बाद त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी को रखा जाएगा। पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) और सीधी भर्ती (डीआर) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते हुए, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) को पहले रखा जाएगा और उसके बाद सीधी भर्ती वाले (डीआर) को रखा जाएगा।

टिप्पणी 2: वार्षिक **पदोन्नति** रोस्टर में सृजित होने वाली **50%** रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर एपीएस के **10%** कोटे का कार्यान्वयन प्रारंभ में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

भाग-VII – लेखा संवर्ग

क्र. सं.	पद का विवरण	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति		टिप्पणी
			चयन/गैर-चयन	अनुभव	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
1.	सहायक महाप्रबंधक	सीधी भर्ती द्वारा 25%	-	-	-
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	प्रबंधक के रूप में 05 वर्ष	-
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस) द्वारा 10%	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर प्रबंधक (लेखा) के रूप में 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन
2.	प्रबंधक	सीधी भर्ती द्वारा 25 %	-	-	आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंध निदेशक द्वारा प्रत्येक अवसर पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित की जाएगी।
		पदोन्नति द्वारा 65%	**चयन**	सहायक श्रेणी-I के रूप में 03 वर्ष	
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस)	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर श्रेणी–III पद (लेखा) में 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

		द्वारा 10%		परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	

टिप्पणी 1: पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर) और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी (एपीएस) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते समय, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी को पहले रखा जाएगा और उसके बाद त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी को रखा जाएगा। पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) और सीधी भर्ती (डीआर) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते हुए, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) को पहले रखा जाएगा और उसके बाद सीधी भर्ती वाले (डीआर) को रखा जाएगा।

टिप्पणी 2: वार्षिक **पदोन्नति** रोस्टर में सृजित होने वाली **50%** रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर एपीएस के **10%** कोटे का कार्यान्वयन प्रारंभ में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

भाग-IX – इंजीनियरिंग संवर्ग

इलैक्ट्रिकल मैकेनिकल विंग

क्र. सं.	पद का विवरण	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति		टिप्पणी
			चयन/गैर-चयन	अनुभव	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
3(ख)	प्रबंधक (ईएम)	सीधी भर्ती द्वारा 25%	-	-	आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंध निदेशक द्वारा प्रत्येक अवसर पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित की जाएगी।
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	डिग्रीधारकों के मामले में 02 वर्ष और डिप्लोमाधारकों के मामले में 05 वर्ष के जूनियर इंजीनियर (ईएम/ईई/एमई) के रूप में अनुभव	-
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस) द्वारा 10%	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर श्रेणी–III पद (ईएम/ईई/एमई) में 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

				10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	

टिप्पणी 1: पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर) और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी (एपीएस) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते समय, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी को पहले रखा जाएगा और उसके बाद त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी को रखा जाएगा। पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) और सीधी भर्ती (डीआर) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते हुए, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) को पहले रखा जाएगा और उसके बाद सीधी भर्ती वाले (डीआर) को रखा जाएगा।

टिप्पणी 2: वार्षिक **पदोन्नति** रोस्टर में सृजित होने वाली **50%** रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर एपीएस के **10%** कोटे का कार्यान्वयन प्रारंभ में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

भाग-IX – इंजीनियरिंग संवर्ग

सिविल विंग

क्र.सं.	पद का विवरण	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति		टिप्पणी
			चयन/गैर-चयन	अनुभव	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
5(ख)	$$$$$ प्रबंधक (सीई)	सीधी भर्ती द्वारा 25%	-	-	आवश्यकताओं के आधार पर प्रबंध निदेशक द्वारा प्रत्येक अवसर पर प्रबंधन प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित की जाएगी।
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	डिग्रीधारकों के मामले में 02 वर्ष का अनुभव और डिप्लोमा धारकों के मामले में 05 वर्ष का जूनियर इंजीनियर (सीई)	-
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस)	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर श्रेणी – III पद (सीई) 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

		द्वारा 10%		परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	

टिप्पणी 1: पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर) और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी (एपीएस) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते समय, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी को पहले रखा जाएगा और उसके बाद त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी को रखा जाएगा। पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) और सीधी भर्ती (डीआर) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते हुए, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) को पहले रखा जाएगा और उसके बाद सीधी भर्ती वाले (डीआर) को रखा जाएगा।

टिप्पणी 2: वार्षिक **पदोन्नति** रोस्टर में सृजित होने वाली **50%** रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर एपीएस के **10%** कोटे का कार्यान्वयन प्रारंभ में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

भाग-XI – राजभाषा संवर्ग

क्र.सं.	पद का विवरण	भर्ती की पद्धति	पदोन्नति		टिप्पणी
			चयन/गैर-चयन	अनुभव	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
4(ख)	प्रबंधक (हिंदी)	सीधी भर्ती द्वारा 25%	-	-	
		पदोन्नति द्वारा 65%	चयन	सहायक श्रेणी-I के रूप में 03 वर्ष	-
		सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा(एलडीपीई) के माध्यम से त्वरित पदोन्नति योजना(एपीएस) द्वारा 10%	-	प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर श्रेणी – III पद (हिंदी) में 03 वर्ष एलडीपीई में कुल अंकों में से 10% अंक प्रशिक्षण अथवा/तथा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए इस प्रकार होंगे कि अधिकतम 10% के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के	अधिकतम चार प्रयासों के अध्यधीन

				लिए 01% अंक आवंटित किए गए हों। कुल अंकों का शेष 90% लिखित परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा।	

टिप्पणी 1: पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर) और त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी (एपीएस) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते समय, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी को पहले रखा जाएगा और उसके बाद त्वरित पदोन्नत अभ्यर्थी को रखा जाएगा। पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) और सीधी भर्ती (डीआर) के बीच वरिष्ठता एकीकृत करते हुए, कोटा के आधार पर लागू अनुपात में पदोन्नत अभ्यर्थी (पीआर एंड एपीएस) को पहले रखा जाएगा और उसके बाद सीधी भर्ती वाले (डीआर) को रखा जाएगा।

टिप्पणी 2: वार्षिक **पदोन्नति** रोस्टर में सृजित होने वाली **50%** रिक्तियों के लिए सीमित विभागीय पदोन्नति परीक्षा आयोजित कर एपीएस के **10%** कोटे का कार्यान्वयन प्रारंभ में चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

सीमा कक्कड़, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./116/2021-22]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनुरूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए ।

क्र .सं.	शीर्षक	दिनांक
1.	भा.खा.नि., विनियम (पांचवा संशोधन) (कर्मचारीवृंद), 2020	07.12.2020
2.	भा.खा.नि., विनियम (पहला संशोधन) (कर्मचारिवृंद), 2021	02.06.2021
3.	भा.खा.नि., विनियम (दूसरा संशोधन) (कर्मचारिवृंद), 2021	02.06.2021

FOOD CORPORATION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2021

No. 131

No.EP-1(1)/2015 (Pt.).—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend/insert in the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. **Short Title and Commencement:**

    (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Third Amendment) Regulations, 2021.

    (ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. **Definitions:** The definition and meaning of the words and designation of posts in this Regulation shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. **The following amendments are made in the existing Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971**

    (i) Regulation 2 is amended by inserting definition after Regulation 2 (n) as follows:

(o) "Accelerated Promotion Scheme" (APS) is an additional methodology for promotion through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE) and the employees who are promoted through APS are covered under the term appointee or promotee wherever appears in the Regulations.

(ii) Regulation 10(iii) is amended as follows :

All promotions except through APS shall be considered by a Promotion Board duly constituted for this purpose and shall be regulated by the general instructions to be issued by the Board of Directors, in regard to the filed of choice of candidates, the size of the panel and the validity of the panel. APS shall be extended to the specified percentage of available promotional vacancies as indicated in Appendix-I.

(iii) Regulation 10(iii) is further amended by inserting proviso as follows :

Provided that, a post where promotions are made through APS, the seniority of eligible selected candidates will be arranged in the consolidated order of merit in limited departmental promotion examination.

(iv) Regulation 16 is amended by inserting Regulation 16(3)(A) as follows :

16(3)(A) Relative seniority of promotees and accelerated promotees - The relative seniority of promotees and accelerated promotees will be determined according to rotation of the vacancies as between promotees and accelerated promotees based on the quotas reserved for Promotion and Accelerated Promotion Scheme respectively.

(v) Existing Reg. 16 (3) has been renumbered as Reg.16(3)(B).

(vi) The mode of recruitment of various posts indicated in Appendix-I of Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 is amended in the following columns as follows :

PART-II – GENERAL ADMINISTRATION CADRE

Sl. No.	Description of post	Mode of recruitment	Promotion		Remarks
			Selection/ Non-selection	Experience	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
3.	Asstt. Genl. Manager	25 % by direct recruitment	-	-	-
		65 % by promotion	Selection	05 yrs. as Manager (Genl. / Godown)	-
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years as Manager (Genl./Godown) excluding the training or/and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts

5.	Manager	25 % by direct recruitment	-	-	The number of Management Trainees to be determined on each occasion by the Managing Director depending on the requirements.
		65% by promotion	Selection	03 years as Assistant Grade-I (Genl.Admn./ Stenographer Grade-I)	
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years in category –III post (Genl./Typist/Steno) excluding the training or/and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts.

Note 1: While integrating the seniority between Promotee (PR) and Accelerated Promotee (APS), the Promotee shall be placed first followed by the Accelerated Promotee in the applicable ratio based on the quota. While integrating seniority between Promotee (PR & APS) and Direct Recruit (DR), the Promotee (PR & APS) will be placed first followed by the Direct Recruit (DR) in the applicable ratio based on the quota.

Note 2: The implementation of 10% quota of APS will be initially done in phased manner by conducting limited departmental promotion examination for 50% of vacancies being created in promotion roster annually.

PART-III – GODOWN CADRE

Sl. No.	Description of post	Mode of recruitment	Promotion		Remarks
			Selection/ Non-selection	Experience	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
1.	Manager	25 % by direct recruitment	-	-	The number of Management Trainees to be determined on each occasion by the Managing Director depending on the requirements.
		65% by promotion	Selection	03 years as Assistant Grade-I (Godown)	

		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years in category – III post (Godown) excluding the training or/and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts.

Note 1: While integrating the seniority between Promotee (PR) and Accelerated Promotee (APS), the Promotee shall be placed first followed by the Accelerated Promotee in the applicable ratio based on the quota. While integrating seniority between Promotee (PR & APS) and Direct Recruit (DR), the Promotee (PR & APS) will be placed first followed by the Direct Recruit (DR) in the applicable ratio based on the quota.

Note 2: The implementation of 10% quota of APS will be initially done in phased manner by conducting limited departmental promotion examination for 50% of vacancies being created in promotion roster annually.

PART-IV – TECHNICAL CADRE

Sl. No.	Description of post	Mode of recruitment	Promotion		Remarks
			Selection/ Non-selection	Experience	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
2.	Asstt. Genl. Manager	25 % by direct recruitment	-	-	-
		65 % by promotion	Selection	05 years as Manager	-
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years as Manager (Tech.) excluding the training or / and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being	Subject to maximum four attempts

				allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	
4.	Manager	25 % by direct recruitment	-	-	The number of Management Trainees to be determined on each occasion by the Managing Director depending on the requirements.
		65% by promotion	Selection	03 years as Assistant Grade-I	
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years in category –III post (Tech.) excluding the training or / and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts.

Note 1: While integrating the seniority between Promotee (PR) and Accelerated Promotee (APS), the Promotee shall be placed first followed by the Accelerated Promotee in the applicable ratio based on the quota. While integrating seniority between Promotee (PR & APS) and Direct Recruit (DR), the Promotee (PR & APS) will be placed first followed by the Direct Recruit (DR) in the applicable ratio based on the quota.

Note 2: The implementation of 10% quota of APS will be initially done in phased manner by conducting limited departmental promotion examination for 50% of vacancies being created in promotion roster annually.

PART-V – MOVEMENT CADRE

Sl. No.	Description of post	Mode of recruitment	Promotion		Remarks
			Selection/ Non-selection	Experience	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
1.	Asstt. Genl. Manager	25 % by direct recruitment	-	-	-
		65 % by promotion	Selection	05 years as Manager	-

		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years as Manager (Movt.) excluding the training or/and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts
2.	Manager	25 % by direct recruitment	-	-	The number of Management Trainees to be determined on each occasion by the Managing Director depending on the requirements.
		65% by promotion	Selection	03 years as Assistant Grade-I	
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years in category –III post (Movt.) excluding the training or / and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts.

Note 1: While integrating the seniority between Promotee (PR) and Accelerated Promotee (APS), the Promotee shall be placed first followed by the Accelerated Promotee in the applicable ratio based on the quota. While integrating seniority between Promotee (PR & APS) and Direct Recruit (DR), the Promotee (PR & APS) will be placed first followed by the Direct Recruit (DR) in the applicable ratio based on the quota.

Note 2: The implementation of 10% quota of APS will be initially done in phased manner by conducting limited departmental promotion examination for 50% of vacancies being created in promotion roster annually.

PART-VII – ACCOUNTS CADRE

Sl. No.	Description of post	Mode of recruitment	Promotion		Remarks
			Selection/ Non-selection	Experience	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
1.	Asstt. Genl. Manager	25 % by direct recruitment	-	-	-
		65 % by promotion	Selection	05 years as Manager	-
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years as Manager (Accounts) excluding the training or/and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts
2.	Manager	25 % by direct recruitment	-	-	The number of Management Trainees to be determined on each occasion by the Managing Director depending on the requirements.
		65% by promotion	Selection	03 years as Assistant Grade-I	
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years in category –III post (Accounts) excluding the training or / and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of	Subject to maximum four attempts.

				service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	

Note 1: While integrating the seniority between Promotee (PR) and Accelerated Promotee (APS), the Promotee shall be placed first followed by the Accelerated Promotee in the applicable ratio based on the quota. While integrating seniority between Promotee (PR & APS) and Direct Recruit (DR), the Promotee (PR & APS) will be placed first followed by the Direct Recruit (DR) in the applicable ratio based on the quota.

Note 2: The implementation of 10% quota of APS will be initially done in phased manner by conducting limited departmental promotion examination for 50% of vacancies being created in promotion roster annually.

PART-IX – ENGINEERING CADRE

ELECTRICAL MECHANICAL WING

Sl. No.	Description of post	Mode of recruitment	Promotion		Remarks
			Selection/Non-selection	Experience	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
3(B)	Manager (EM)	25 % by direct recruitment	-	-	The number of Management Trainees to be determined on each occasion by the Managing Director depending on the requirements.
		65% by promotion	Selection	Experience as Junior Engineer (EM/EE/ME) of 02 years in case of degree holders and 05 years in case of diploma holders.	-
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years in category – III post (EM/EE/ME) excluding the training or / and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts

Note 1: While integrating the seniority between Promotee (PR) and Accelerated Promotee (APS), the Promotee shall be placed first followed by the Accelerated Promotee in the applicable ratio based on the quota. While integrating seniority between Promotee (PR & APS) and Direct Recruit (DR), the Promotee (PR & APS) will be placed first followed by the Direct Recruit (DR) in the applicable ratio based on the quota.

Note 2: The implementation of 10% quota of APS will be initially done in phased manner by conducting limited departmental promotion examination for 50% of vacancies being created in promotion roster annually.

PART-IX – ENGINEERING CADRE

CIVIL WING

Sl. No.	Description of post	Mode of recruitment	Promotion		Remarks
			Selection/Non-selection	Experience	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
5(B)	$$$$$ Manager (CE)	25 % by direct recruitment	-	-	The number of Management Trainees to be determined on each occasion by the Managing Director depending on the requirements.
		65% by promotion	Selection	Junior Engineer (CE) of 02 years' experience in the case of degree holders and 05 years in case of diploma holders.	-
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years in category – III post (CE) excluding the training or / and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts

Note 1: While integrating the seniority between Promotee (PR) and Accelerated Promotee (APS), the Promotee shall be placed first followed by the Accelerated Promotee in the applicable ratio based on the quota. While integrating seniority between Promotee (PR & APS) and Direct Recruit (DR), the Promotee (PR & APS) will be placed first followed by the Direct Recruit (DR) in the applicable ratio based on the quota.

Note 2: The implementation of 10% quota of APS will be initially done in phased manner by conducting limited departmental promotion examination for 50% of vacancies being created in promotion roster annually.

PART-XI – OFFICIAL LANGUAGE CADRE

Sl. No.	Description of post	Mode of recruitment	Promotion		Remarks
			Selection/Non-selection	Experience	
1.	2.	4.	5.	6.	10.
4(B)	Manager (Hindi)	25 % by direct recruitment	-	-	
		65% by promotion	Selection	03 years as Assistant Grade-I	-
		10% by Accelerated Promotion Scheme (APS) through Limited Departmental Promotion Examination (LDPE)	-	03 years in category – III post (Hindi) excluding the training or / and probation period. 10% of total marks in LDPE will be for experience in excess of 03 years excluding the training or/and probation period in such a manner that 1% marks being allotted for every additional year of service subject to a maximum of 10%. Balance 90% of total marks will be earmarked for written examination.	Subject to maximum four attempts.

Note 1: While integrating the seniority between Promotee (PR) and Accelerated Promotee (APS), the Promotee shall be placed first followed by the Accelerated Promotee in the applicable ratio based on the quota. While integrating seniority between Promotee (PR & APS) and Direct Recruit (DR), the Promotee (PR & APS) will be placed first followed by the Direct Recruit (DR) in the applicable ratio based on the quota.

Note 2: The implementation of 10% quota of APS will be initially done in phased manner by conducting limited departmental promotion examination for 50% of vacancies being created in promotion roster annually.

SEEMA KAKAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./116/2021-22]

Note : The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

Sl. No.	Title	Dated
1	FCI(Staff) (5th Amendment) Regulations, 2020	07.12.2020
2	FCI(Staff) (1st Amendment) Regulations, 2021	02.06.2021
3	FCI(Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2021	02.06.2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.06.21 19:35:27 +05'30'